



झारखंड सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

Duplicate-copy CRSLP911322

7/18/2018



नामांतरण शुद्धि-पत्र

जिला का नाम	धनबाद	अनुमंडल नाम	धनबाद	अंचल का नाम	धनबाद	हल्का	हल्का-02
इस्टेट का नाम	झारखण्ड	भाग	10	पृष्ठ संख्या वर्तमान	1	थाना न.	9
		वर्तमान(VOL)					

क्रमिक संख्या	केस न.	मौजा का नाम/ राजस्व थाना न.	थाना का नाम	स्वीकृत द्वारा और तिथि	परिवर्तन प्रकार	अभिधृत जिसमें नामांतरण संबंधित है			कारोबार विस्तृत सूचना			लगान	रजिस्टर 2 अद्यतन तिथि अभ्युक्ति
						खाता न.	भाग वर्तमान	पृष्ठ संख्या वर्तमान	खाता न.	प्लॉट न.	क्षेत्रफल		
1322	1317 /R27 2017 - 2018	आमाघाटा/ 9	झरिया	23/03/2018	By Sale Registration Deed 2929 Dated 04/07/2017	50	2	58	50	81	6.35 डिसमील	4	

क्रेता का नाम : (SARITA DEVIपति-ANIL SAW, जाति-तेली महतो, पता- VIKASH NAGAR KATRAS ROAD DHANBAD)	जमाबंदी रैयत का नाम : सतीश कुमार दत्ता -पिता-स्व नकुल चन्द्र दत्ता	विक्रेता का नाम : SATISH KUMAR DUTTA, पिता-LATE NAKUL CHANDRA DUTTA, जाति-मएरा, पत्ता-DHANBAD
--	---	---

राजस्व कर्मचारी हल्का-02 को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ हस्तान्तरित |  
यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है  
यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है  
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

Signature valid



Digitally signed by

PRAKASH KUMAR

अंचलाधिकारी धनबाद



**Duplicate Copy**

18-Jul-2018

**आदेश**

तिथि

Mar 23 2018

आदेश पर की

गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा आमाघाटा थाना झरिया

खाता	प्लॉट	रकबा
50	81	0 एकड़, 6.35 डिसमील, 0हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
SATISH KUMAR DUTTA	पिता	LATE NAKUL CHANDRA DUTTA

है जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 2929 दिनांक MMM d yyyyके द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदीरैयत

रैयत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
सतीश कुमार दत्ता	पिता	स्व नकुल चन्द्र दत्ता

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है।

राजस्व कर्मचारी एबम अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन स्वीकृत अनुसंसा के साथ प्राप्त अत दाखिल खारिज आबेदन को स्वीकृत किया जाता है

अतः वार्षिक लगान **4रुपये**

अलावे सेस के साथ नामान्तरण

**स्वीकृत**

किया जाता है।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :

PRAKASH KUMAR

अंचलाधिकारी धनबाद